

**न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, चन्दौली।**

सिविल निगरानी संख्या-25/2024

दर्शन उर्फ जयपाल वगै०

बनाम

कुमारी देवी वगै०।

**दिनांक-12.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। बार-बार पुकार पर भी उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता दिनांक 27.03.2025 से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। आज पुकार पर भी निगरानीकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं आया और न ही उसके विद्वान अधिवक्ता ही न्यायालय में उपस्थित आये न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही न्यायालय में दाखिल किया गया। निगरानीकर्ता के उक्त आचरण से यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता प्रस्तुत मामले में कोई रूचि नहीं ले रहा है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी उसकी अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

**आदेश**

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी उसकी अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर जनपद न्यायाधीश/  
फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम,  
चन्दौली।